

JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

Corporate Identity Number (CIN) -U40109RJ2000SGC016483

Regd. Office : New Power House, Jodhpur- 342003

Phone No : 0291-2742343 : Fax No : 0291-2742228

E-mail : se_ppm@yahoo.in Web site : www.jdvvn.com

क्रमांक : जोडि/अ.अ./पी.पी.एम./फा० एसएण्डआई(कृ. आ.)/प्रे०

10

दिनांक 01-04-15

: आदेश :

विषय :- वर्ष 2015-16 में कृषि कनेक्शन जारी करने के संबंध में ।

वर्तमान में कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु 1 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 2009 तक सामान्य श्रेणी में पंजीकृत कृषि आवेदनों को कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं । अब यह निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल, 2009 से 31 अक्टूबर, 2009 तक पंजीकृत सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन आवेदनों के मांग पत्र निम्नानुसार जारी कर कृषि कनेक्शन निर्धारित अवधि में जारी करना सुनिश्चित किया जावे ।

1. 25 प्रतिशत - 6 अप्रैल, 2015 से 20 अप्रैल, 2015 तक
2. 25 प्रतिशत - 21 अप्रैल, 2015 से 5 मई, 2015 तक
3. 25 प्रतिशत - 6 मई, 2015 से 21 मई, 2015 तक
4. 25 प्रतिशत - 22 मई, 2015 से 5 जून, 2015 तक

तुरन्त प्राथमिकता

समस्त अनुसूचित जाति के आवेदकों तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों तथा अन्य आवेदक जिन्हें तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन देय है के मांग पत्र तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर यथावत जारी करते रहें ।

सभी श्रेणियों के लिए मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जाएगा तथा उक्त समयवधि में मांग पत्र जमा नहीं कराने पर आवेदन पत्र विना किसी अन्य सूचना के रद्द कर दिया जावेगा । जिसके लिए सभी स्थानीय अखबारों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की मीटिंग एवं चौपालों में विस्तृत जानकारी दे दी जावे ।

अन्य नियम व शर्तें पूर्व में जारी आदेश आर.ई.ओ. 202 दिनांक 30.11.2012 के अनुरूप यथावत रहेगी । उपरोक्त आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे ।




(मंगलाराम चौधरी)

अधीक्षण अभियन्ता(पीपीएण्डएम)

जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
3. निदेशक (वित्त/तकनीकी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. संभागीय मुख्य अभियन्ता (जोध./बीका./बाड. जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाडमेर।
5. उप मुख्य अभियन्ता (एम.एम.एण्डसी.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (ए. एण्ड आर./...../.....) जोधपुर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
7. प्रावैधिक सहायक, माननीय प्रबंधक निदेशक महोदय, जोधपुर/जयपुर/अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर/अजमेर।
8. अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संघा./सतर्कता/टी.डब्ल्यू./वाणिज्य/एम.एम.सी./एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/सिरोही/जालौर/जैसलमेर/बाडमेर/बीकानेर/चुरू/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)/ उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
10. निजी सचिव, मा. ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
11. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम, जयपुर को माननीय अध्यक्ष के सूचनार्थ।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि. एवं संघा./एमएम/अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
13. कंपनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
14. जनसंपर्क अधिकारी जोयिविनिलि, जोधपुर।



अधीक्षण अभियन्ता(पीपीएण्डएम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर